

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

निम्नांकित व्याख्याता-हिन्दी को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति-निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक, विषय मय पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का कारण व अवधि	विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है
01.	RAJESH KUMAR SHARMA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAJAWAR (222255), BUNDI	TOURIST period date:- 05/09/2023 to 15/09/2023 (11 days)	MALAYSIA, KUALA LUMPUR
02.	PRAVEEN SHARMA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARSANI (214402), BHILWARA	VISIT period date:- 06/09/2023 to 13/09/2023 (08 days)	PENGANG, MALAYSIA

- 01 विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- 02 विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 03 विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 04 विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- 05 उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकार से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
- 06 विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- 07 विदेश प्रवास के दौरान जहां-जहां पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
- 08 विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
- 09 यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
- 10 (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
(ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हों।
(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विदेश यात्रा/वो.2/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य.....।
4. संबंधित कार्मिक.....।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.08.25 23:24:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4574588

